

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: झंवर लाल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या:- 43 / 2026

उनवान

1. भगवती लाल पुत्र जगदीश जाति ब्राह्मण नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
2. लीला देवी पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
3. घनश्याम त्रिपाठी पुत्र स्व० भैय लाल पुत्र ब्रह्मानंद जाति ब्राह्मण नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)

— प्रार्थी

बनाम

1. प्रद्युमन सिंह पुत्र रघुराज सिंह राजपुत नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
2. जयकृत सिंह पुत्र रघुराज सिंह राजपुत नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
3. अन्नापूर्णा कंवर पुत्री रघुराज सिंह राजपुत नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
4. मीना कंवर पत्नी रघुराज सिंह राजपुत नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज०)
5. अशोक कुमार जैन विजय सिंह सुराणा जाति महाजन नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. हाज नि० प्लेट नं. 803 कॉलोनी रूबी शाहम्भरीस कोहिनूर रेजीडेंसी, रामपुरा रोड दादाबाडी जयपुर तह० व जिला जयपुर राज.
6. भगत सिंह पुत्र भंवर जाति महाजन नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. हाल नि० ए- 30 कॉलोनी एल.बी.एस.कॉलेज के सामने जवाहर नगर जयपुर तह व जिला जयपुर राज.
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज०)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 16.04.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.03.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 932 खसरा संख्या 2298 रकबा 0.4932 है०, खसरा संख्या 2299 रकबा 1.9220 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09-03-2026 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 6 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भूअ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा राज. में खाता संख्या 932 खसरा संख्या 2298 रकबा 0.4932 है०, खसरा संख्या 2299 रकबा 1.9220 है० भूमि जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ